



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272801  
CG-DL-E-22052026-272801

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2515]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 2515]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2026

का.आ. 2607(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.472(अ) दिनांक 29/01/2026, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 02/02/2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में JTN#212 से JTN#41 HDR तक ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के देवीनापुरा, मीठा - गांव, तहसील - मेहसाणा एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 10/02/2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

### अनुसूची

पाइप लाइन फॉर ड्रिल साइट JTN#212 से JTN#41 HDR तक

| तालुका:- मेहसाणा |            | जिला:- मेहसाणा  |  | राज्य:- गुजरात |    |          |
|------------------|------------|-----------------|--|----------------|----|----------|
| गाँव का नाम      |            | सर्वे/ब्लोक नं. | भाग यदि कोई हो                           | क्षेत्रफल      |    |          |
| 1                |            | 2               | 3  | हेक्टर         | आर | सेन्टीआर |
| 1                |            | 2               | 3  | 4              |    |          |
| 1                | देवीनापुरा | 703             |  | 00             | 11 | 75       |
| 2                |            | 705             |  | 00             | 18 | 50       |
| 3                |            | 706             |  | 00             | 22 | 50       |
| 4                |            | 708             |  | 00             | 04 | 75       |
| 5                |            | 853             |  | 00             | 03 | 00       |
| 6                | मीठा       | 203             |  | 00             | 01 | 00       |
| 7                |            | 1221            |  | 00             | 03 | 50       |
| 8                |            | 138             | उत्तर-पुर्व - 1470<br>उत्तर-पश्चिम - 750 | 00             | 22 | 20       |
| 9                |            | 103             |  | 00             | 12 | 80       |
| 10               |            | 101             |  | 00             | 08 | 50       |
| 11               |            | 100             |  | 00             | 09 | 00       |
| 12               |            | 98              |  | 00             | 14 | 50       |
| 13               |            | 97              |  | 00             | 11 | 10       |
| 14               |            | 96              |  | 00             | 25 | 90       |
| 15               |            | 91              |  | 00             | 08 | 25       |
| 16               |            | 90              |  | 00             | 08 | 50       |
| 17               |            | 89              |  | 00             | 07 | 50       |
| 18               |            | 84              |  | 00             | 06 | 20       |
| 19               |            | 83              |  | 00             | 06 | 50       |
| 20               |            | 1219            |  | 00             | 03 | 75       |
| 21               |            | 82              |  | 00             | 08 | 30       |

|    |  |      |                      |                 |    |    |
|----|--|------|----------------------|-----------------|----|----|
| 22 |  | 81   |                      | 00              | 07 | 85 |
| 23 |  | 80   |                      | 00              | 08 | 00 |
| 24 |  | 79   |                      | 00              | 10 | 85 |
| 25 |  | 78   |                      | 00              | 09 | 10 |
| 26 |  | 77   |                      | 00              | 08 | 15 |
| 27 |  | 76   |                      | 00              | 08 | 30 |
| 28 |  | 75   |                      | 00              | 30 | 35 |
| 29 |  | 73   |                      | 00              | 11 | 50 |
| 30 |  | 72   |                      | 00              | 00 | 35 |
| 31 |  | 1216 |                      | 00              | 01 | 90 |
| 32 |  | 1165 |                      | 00              | 00 | 50 |
|    |  |      | <b>कुल क्षेत्रफल</b> | <b>03-14-85</b> |    |    |

[फा. सं. इएक्सपीएल -13011(26)/3/2026-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-55099)]  
रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2026

**S.O. 2607(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 472(E) Dated 29/01/2026 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 02/02/2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from JTN#212 TO JTN#41 HDR in DEVINAPURA & MITHA villages, Taluka Mehsana & District Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 10/02/2026.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

## SCHEDULE

## PIPELINE FOR DRILL SITE JTN#212 TO JTN#41 HDR

TALUKA: - MEHSANA

DISTRICT:- MEHSANA

STATE:- GUJARAT

| Name of village | Survey No./Block No. | Part if any                           | Area            |     |          |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|----------|
|                 |                      |                                       | Hq.             | Are | Sq. mtr. |
| 1               | 2                    | 3                                     | 4               |     |          |
| 1               | 703                  |                                       | 00              | 11  | 75       |
| 2               | 705                  |                                       | 00              | 18  | 50       |
| 3               | 706                  |                                       | 00              | 22  | 50       |
| 4               | 708                  |                                       | 00              | 04  | 75       |
| 5               | 853                  |                                       | 00              | 03  | 00       |
| 6               | 203                  |                                       | 00              | 01  | 00       |
| 7               | 1221                 |                                       | 00              | 03  | 50       |
| 8               | 138                  | North-East – 1470<br>North-West - 750 | 00              | 22  | 20       |
| 9               | 103                  |                                       | 00              | 12  | 80       |
| 10              | 101                  |                                       | 00              | 08  | 50       |
| 11              | 100                  |                                       | 00              | 09  | 00       |
| 12              | 98                   |                                       | 00              | 14  | 50       |
| 13              | 97                   |                                       | 00              | 11  | 10       |
| 14              | 96                   |                                       | 00              | 25  | 90       |
| 15              | 91                   |                                       | 00              | 08  | 25       |
| 16              | 90                   |                                       | 00              | 08  | 50       |
| 17              | 89                   |                                       | 00              | 07  | 50       |
| 18              | 84                   |                                       | 00              | 06  | 20       |
| 19              | 83                   |                                       | 00              | 06  | 50       |
| 20              | 1219                 |                                       | 00              | 03  | 75       |
| 21              | 82                   |                                       | 00              | 08  | 30       |
| 22              | 81                   |                                       | 00              | 07  | 85       |
| 23              | 80                   |                                       | 00              | 08  | 00       |
| 24              | 79                   |                                       | 00              | 10  | 85       |
| 25              | 78                   |                                       | 00              | 09  | 10       |
| 26              | 77                   |                                       | 00              | 08  | 15       |
| 27              | 76                   |                                       | 00              | 08  | 30       |
| 28              | 75                   |                                       | 00              | 30  | 35       |
| 29              | 73                   |                                       | 00              | 11  | 50       |
| 30              | 72                   |                                       | 00              | 00  | 35       |
| 31              | 1216                 |                                       | 00              | 01  | 90       |
| 32              | 1165                 |                                       | 00              | 00  | 50       |
|                 |                      | <b>Total Area</b>                     | <b>03-14-85</b> |     |          |

[F. No. EXPL-13011(26)/3/2026-EXPL-PNG (E-55099)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.